ई–मेल / तत्काल / समयबद्ध (1)

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर / मानसिक चिकित्सालय,आगरा / बरेली / बलरामपुर चिकित्सालय / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय / लोब बन्धु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक / अधीक्षिका), जिला (पुरुष / महिला / संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–प्रशि0प्रको0 / 56 / 2023 / 2668 लखनऊ : दिनांकः 21/09/2023

विषयः–नीट पी0जी0–2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–आफ के कम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315, दिनांक 21.09.2023 के साथ संलग्न मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC दिनांक 20.09.2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 द्वारा नीट पी0जी0–2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुसार संशोधित कट–ऑफ के कम में प्रदेश के विभिन्न रिमोट एवं डिफीकल्ट एरिया के सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों (एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा) की सूची शासनादेश संख्या–5–3001(099) / 8 / 2022–3, दिनॉक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–5–3001(099) / 8 / 2022–3, दिनॉक 10.02.2022 में दिये गये निर्देशानुसार जिन चिकित्साधिकारियों द्वारा न्यूनतम अर्हता अंक परसेन्टाईल कम होने के पश्चात प्राप्त कर लिये है, के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप पर वॉछित अभिलेखों को अपने अधीन चिकित्साधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुये एवं उनके आवेदनों को तैनाती स्थान से संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन के उपरान्त आवेदन पत्र को प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में **दिनॉक 23.09.2023 को अपरान्ह 05:00** बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर / ई–मेल :– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 56 / 2023 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उ०प्र०शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट :–***dgmhup.gov.in*** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, महामंत्री, पी०एम०एच०एस० एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अनुरक्षण सेल, (मानीटरिंग सेल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

D:\Yatiram\Letter.doc

ई–मेल / तत्काल / समयबद्ध (2)

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर / मानसिक चिकित्सालय,आगरा / बरेली / बलरामपुर चिकित्सालय / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय / लोब बन्धु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा (अधीक्षक / अधीक्षिका), जिला (पुरुष / महिला / संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः–प्रशि0प्रको0 / 56 / 2023 / लखनऊ : दिनांकः 21/09/ 2023

विषयः–नीट पी0जी0–2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–आफ के कम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315, दिनांक 21.09.2023 के साथ संलग्न मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC दिनांक 20.09.2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 द्वारा नीट पी0जी0–2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुसार संशोधित कट–ऑफ के क्रम में प्रदेश के विभिन्न रिमोट एवं डिफीकल्ट एरिया के सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों (एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा) की सूची शासनादेश संख्या–5–3001(099) / 8 / 2022–3, दिनॉक 10.02.2022 एवं शासनादेश संख्या–5–3001(099) / 8 / 2022–3, दिनॉक 10.02.2022 में दिये गये निर्देशानुसार जिन चिकित्साधिकारियों द्वारा न्यूनतम अर्हता अंक परसेन्टाईल कम होने के पश्चात प्राप्त कर लिये है, के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप पर वॉछित अभिलेखों को अपने अधीन चिकित्साधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुये एवं उनके आवेदनों को तैनाती स्थान से संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन के उपरान्त आवेदन पत्र को प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण अनुभाग में **दिनॉक 23.09.2023 को अपरान्ह 05:00** बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर / ई–मेल :– ***dgmhtraining@gmail.com*** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / 56 / 2023 / 2669-74 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, उ०प्र०शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट :–***dgmhup.gov.in*** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, महामंत्री, पी०एम०एच०एस० एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अनुरक्षण सेल, (मानीटरिंग सेल), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(डा0 शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

D:\Yatiram\Letter.doc

(3)

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) FTS:8238881) दिनांक 20.09.2023 की सूचना के अनुसार नीट पी0जी0–2023 के संशोधित कट–आफ स्कोर के पश्चात आवेदन पत्र :–

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. चिकित्सा अधिकारी का नाम (हिन्दी व अंग्रजी के बड़े शब्दों में) ....
....
2. पिता का नाम ....
3. जन्म तिथि ....आयु..
(हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
4. वरिष्ठता क्रमांक ....ई0एच0आर0एम0एस0 कोड..
5. ई–मेल आई0डी0 .... मो0 नं0 1..........................2..........................
6. *नीट पी0जी0–2023 की परीक्षा का रोल नं0 (अंको में) ....
शब्दो में..
रैंक..प्राप्त अंक..
(नीट पी0जी0 परीक्षा 2023 में ऑन–लाइन आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें)
7. पी.एम.एच.एस. संवर्ग में लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
1. प्रथम नियुक्ति तिथि .... 2.योगदान तिथि .... 3. प्रथम कार्यभार तिथि..........................
4. नीट पी0जी0 2023 की परीक्षा का परीक्षा फल (समस्त प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
8. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ....
(प्रथम नियुक्ति पर योगदान एवं कार्यभार प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
9. आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)
सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति / जनजाति ☐ / ☐ दिव्यांग ☐ ईडब्लूएस ☐
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. अभ्यर्थी जिस चिकित्सा इकाई का भारांक लेगा, उस इकाई का नाम..
एवं शासनादेश संख्या–03 / 2022 / 492 / चि0–3–2022–जी–6 / 2023टी0सी0– I I, दिनांक 15.03.2022 की सूची में अंकित इकाई का कम संख्या..छायाप्रति संलग्न करे।

21.9.23

(5)

11. (क) विशेषज्ञता (डिप्लोमा / डिग्री) यदि पूर्व से किया गया हो, हां.......................अथवा नहीं.............................
यदि हां, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12. प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक की तैनातियों का विवरण:–

क्र.सं.	पद नाम	तैनाती स्थान	तैनाती अवधि का विवरण (किस तिथि से किस तिथि तक)	
1	2	3	(कब से)	(कब तक)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

13. अभ्यर्थियों की पूर्ण ग्रामीण सेवा अवधि का विवरण :–

क्र.सं.	वरि0 क्रमांक	जनपद में ग्रामीण सेवा की तैनाती का स्थान	सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा अवधि की गणना			योग
				दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

अनुमन्य ग्रामीण सेवा की अवधि वर्ष .... माह.......................... दिन ....

14. एम0बी0बी0एस0 कहाँ से उत्तीर्ण किया गया है (उ0प्र0 से) या उ0प्र0 के बाहर से (एम0बी0बी0 एस0 डिग्री की छायाप्रति संलग्न करें) एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण किये जाने वाले मेडिकल कालेज का नाम.........................
....वर्ष–............................राज्य का नाम...

15. यदि एम0बी0बी0एस0 विदेश की संस्था से प्राप्त किया है। हाँ / नहीं

1. संस्था का नाम एवं पता ....

21.9.13

2. क्या उत्तीर्ण किये जाने वाली संस्था एम0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है? हाँ / नहीं

16. क्या किसी प्रकार की विभागीय / सर्तकता जांच अथवा अन्य कोई कार्यवाही प्रचलित तो नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य तो नहीं है, जो पात्रता हेतु बाधक हो, विवरण दिया जाये। हाँ / नहीं

17. **स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष दिनांक 31.12.2022 तक होनी चाहिए।**

18. **स्नातकोत्तर अध्ययन में चिकित्सा अधिकारी की सेवा की गणना कट–ऑफ डेट दिनांक 31.12.2022 तक होगी।**

19. ग्रामीण सेवा में कार्य करने हेतु अतिरिक्त भारांक शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेश के अधीन दिये जायेंगे।

20. क्या पूर्व के तीन वर्ष में नीट पी0जी0 की परीक्षा में चयनित हुए है, हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो वर्ष / रोल नं0 / रैंक / विषय अंकित किया जाये।

21. क्या पूर्व के तीन वर्ष में नीट पी0जी0 की काउसिंलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया। (यदि हाँ तो वर्ष अंकित करें) छायाप्रति संलग्न करें। हाँ / नहीं

22. क्या आप डिबार श्रेणी में आते हैं। हाँ / नहीं
(अभ्यार्थी डिबार श्रेणी में नहीं आते हैं इस आशय का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।) शपथ–पत्र मूल रूप में संलग्न करें।

23. क्या आपने नीट पी0जी0 के प्रार्थना–पत्र में अल्ट्रासाउण्ड का आवेदन किया है। हाँ / नहीं

24. **नोटरी द्वारा बाण्ड अनिवार्य रुप से संलग्न करें।**

25. **नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का बाण्ड प्रस्तुत किया जायें जिसमें इस तथ्य की घोषणा हो कि स्नातकोत्तर पाठयक्रम पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी को न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य रूप से राजकीय चिकित्सालयों में करनी होगी। इससे विचलन की स्थिति में रूपया–1,00,00,000 / – (रूपया एक करोड मात्र) की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। इसके लिए उक्त धनराशि को दो बराबर जमानतदार, जो विभागीय अधिकारी / कर्मचारी हो, जिनकी दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि बाकी हो अथवा उस धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।**

26. शासनादेश संख्या–492 / चि0–3–2023–जी0–6 / 2013टी0सी0–II, दिनांक 15.03.2022 के निर्देशों के क्रम में तथा शासनादेश संख्या–01 / 2022–आई / 139791 / 2022–5–3001(099) / 8 / 2022–3, दिनांक 10.02. 2022 में निहित प्राविधानों / शर्तों के अधीन पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को प्रदेश के दूरस्थ एवं / अथवा कठिन क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से एम0सी0आई0 पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलेशन, 2000 (समय–समय पर यथा संशोधित) नीति के आधार पर भारांक शासन द्वारा चिन्हित इकाईयों पर सहमति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

21.9.23

27. विगत तीन वर्षों में शासन द्वारा अधिसूचित सुदूर, दुर्गम एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों के उपरोक्त चिकित्सालय में तैनाती के दौरान ओ.पी.डी. रजिस्टर पर आधारित दैनिक डायरी रजिस्टर के आधार पर उपचारित रोगियों की संख्या का माहवार/वर्षवार विवरणः–

वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	उपचारित वाहय रोगियों की संख्या	उपचारित अन्तः रोगियों की संख्या	यदि उपचारित रोगियों का आपरेशन किया गया हो तो उसकी संख्या
1	2	3	4

नोटः–

1. क्रमांक–27 पर अंकित उपचारित रोगियों की संख्या की पुष्टि संबंधित चिकित्सालय के नियंत्रक चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में उपचारित रोगियों का माहवार/वर्षवार (तीन वर्षों का अलग–अलग) विवरण का सत्यापन कराकर इस प्रपत्र के साथ अलग से संलग्न किया जाये।
2. *अभ्यर्थी अनुक्रमांक संख्या को सही ढ़ग से भरे, यदि अनुक्रमांक संख्या गलत होने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। नीट पी0जी0–2023 की स्वप्रमाणित अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
3. समस्त संलग्नक स्वाप्रमाणित होना चाहिए।
4. चिकित्साधिकारी द्वारा भरा गया विवरण पठनीय होना चाहिए।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्ही अभ्यर्थी के आवेदन अग्रसारित करेंगें जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो गयी हो साथ ही 03 वर्ष की सेवायें पूर्ण की हों, अन्यथा की स्थिति में यदि किसी प्रकार का कोई न्यायालय वाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रुप से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

(*03 वर्ष की सेवा अवधि से कम सेवा वाले अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रसारित न किये जाय।)

6. नीट पी0जी0 परीक्षा में क्या अभ्यर्थी चौथी बार सम्मिलित हुआ है, तो उसका विवरण अंकित करें......................

....

किन वर्षों में नीट पी0जी0 परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं..।

21.9.23

–::घोषणा::–

मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाऐं/विवरण एवं उसके संलग्नक मेरे निजी ज्ञान में सत्य है। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। क्रमांक–27 पर उल्लिखित उपचारित रोगियों का विवरण चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 रजिस्टर आधारित दैनिक डायरी रजिस्टर में अंकित विवरण के आधार पर अंकित किया गया है। मुझे उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या .... में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन में प्रवेश हेतु निर्धारित सभी शर्तें/प्रतिबन्ध मान्य है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख त्रुटि पूर्ण पाये जाते है अथवा में शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण नहीं करता हूं तो मेरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा तथा मैं इस हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा।

वर्तमान तैनाती का स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 ....पुत्र/पुत्री.. द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में भरे गये सभी तथ्यों तथा अभिलेखों का मेरे द्वारा भलीभांति परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है तथा क्रमांक–27 में उपचारित रोगियों की संख्या चिकित्सालय के ओ0पी0डी0/इनडोर रजिस्टर में अंकित अभिलेखों के आधार पर अंकित की गयी है, प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक (चिकित्सा अधिकारी) ने उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अन्य चिकित्सालयों, जैसा की वर्णित है, जिसका सत्यापन किया जाता है। डा0 .... दिनांक .... से निरन्तर विभागीय सेवा में सेवारत् है तथा सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा दिनांक 31.12.2022 को पूर्ण कर ली गयी है। इनकी आयु दिनांक 31.12.2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो।

दिनांक :–

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर एवं चिकित्सालय का नाम मुहर सहित

विशेष टिप्पणियां :–

1. समस्त संबंधित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि अंकित करेंगे कि अभ्यर्थी नीट पी0जी0 परीक्षा में प्रथम/द्वितीय/तृतीय बार सम्मिलित हुये हैं। यदि अभ्यर्थी चौथी बार नीट पी0जी0 की परीक्षा में सम्मिलित होनो चाहते हैं, तो शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति शासन द्वारा ही दी जायेगी।
2. समस्त संबंधित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) अभ्यर्थी के पी0जी0 अध्ययन में चयन वर्ष के साथ संबंधित चिकित्सा संस्थान का विवरण भी अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्साधिकारी की सेवापुस्तिका में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

(8)

बाण्ड का प्रारूप (रू0 100/– स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र सभी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासनादेश संख्या–01/2022–आई/139791/2022–5–3001(099)/8/2022–3, दिनांक 10.02.2022 के अनुसार पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को नीट पी0जी0 में चयन हेतु बाण्ड का प्रारूप (रू0 100/– के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित कराकर प्रवेश से पूर्व विभाग में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य)

Office of the Director General Medical and Health Services U.P. Lucknow.

Known all men by theses present that we (1), ……………………………………………………So/or D/o ………………………………………………………………R/o …………………………………………… at present posted as a medical officer Level at …………………………………………………… & selected candidate of MD/MS……………………………… at …………………………………………Medical college (hereinafter refered to as "Principal")

(2) Shri………………………………………………………S/o……………………………………………R/o…… ………………………………………… (hereinafter refered to as the "Surely") do here be jointly and severally bind ourselves (and shall include our respective heirs, executors administrators etc.) to pay to the Government of Uttar Pradesh through Director General Medical and Health Services Government of Uttar Pradesh, Lucknow (hereinafter referred to as "GOUP" on demand without any demur, Claim, proceedings the sum not exceeding Rs.100,00,000/- (Rupees One Crore) only within a period of two weeks from the date of such demand; WHEREAS the above said "Principal" has been selected in the discipline/Department for MD/MS against reserved/open seats of MD/MS Courses for PMHS Doctors in Medical Colleges of Uttar Pradesh against the post of Resident for a period of three years, with effect from………………………………..

(3) AND WHERE the above said "Principal" after completing MD/MS ………………………………course, will continue for at least Ten years (10 years) in regular services in Medical & Health Department of Government of Uttar Pradesh, against the post of Resident for a period of these years, with effect from …………………

AND WHEREAS the above said 'Principal' after completing MD/MS courses, will continue for at least Ten years (10 years) in regular services in Medical & Health Department of Government of Uttar Pradesh, ANDWHEREAS the above said "Principal: has also undertaken that if He/She leaves the services before the period of 10 years, He/She is liable to pay a sum Rs.1,00,00,000/- (Rupees One Crore) only to the GOUP .

NOW THE CONDITION of above written bond is that if the said Dr. …………………………………………… (Principal) shall duly and faithfully observe all these stipulations and conditions on his part to be observed and performed the above written Bond shall be void otherwise the same shall remain in full force.

Signed executed and delivered on this date the …………………… in the presence of following two witnesses.

Signature
(Medical Officer Name) (Principal)

Surety

1-Name-

2-Father Name

3-Age

[signature] 21.9.2023

4-Resident of Surely Name

5- Address & I.D. Proof detail (Enclosed Aadhaar Card)

6- Mobile No.

7- Signature

WITNESS: (1)

1-Name-

2-Father Name

3-Age

4-Resident of Surely Name

5- Address & I.D. Proof detail (Enclosed Aadhaar Card)

6- Mobile No.

7- Signature

WITNESS: (2)

1-Name-

2-Father Name

3-Age

4-Resident of Surely Name

5- Address & I.D. Proof detail (Enclosed Aadhaar Card)

6- Mobile No.

7- Signature

21.9.2023

संख्या-01/2022-आई/139791/2022-5-3001(099)/8/2022-3

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10/02/2022

विषय: पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री व अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हताएं एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम(डिग्री व अन्य पाठ्यक्रम) हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0)/अन्य समकक्ष परीक्षा में प्रवेश हेतु निम्नवत् उपबन्धों के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी :-

(1) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय/सर्तकता जांच अथवा आपराधिक केस प्रचलित नहीं होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो/स्थायीकरण आदेश निर्गत कर दिया गया हो एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अभ्यर्थी द्वारा की गई सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है, किन्तु स्थायीकरण का आदेश निर्गत नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में विचारोपरान्त छूट प्रदान की जा सकती है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा कोई स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा/डिग्री अध्ययन पूर्व में न किया गया हो तथा वर्तमान में भी न किया जा रहा हो।

(4) अभ्यर्थी को अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद तत्काल अपने पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर थी तो अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चिकित्साधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, जिसकी गणना कट ऑफ तिथि आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष 31 दिसम्बर पर की जायेगी।

(6) अध्ययन की अवधि को सेवा अवधि माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरना होगा। उक्त बाण्ड में चिकित्साधिकारियों को इस आशय का उल्लेख तथा यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त उनके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राज्यपोषित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सालयों में दी जाएगी। इससे विचलन की स्थिति में अभ्यर्थी को रू0-01 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी तथा स्नातकोत्तर कोर्स की अन्तिम काउन्सिलिंग के बाद यदि वह स्वेच्छा से प्रवेश नहीं लेता है तो वह रू0 10.00 लाख का भुगतान राज्य सरकार को करेगा। यदि सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त भारांक (सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के आधार पर) का दावा नहीं किया गया है तो काउंसलिंग के बाद प्रवेश नहीं लेने पर रू0-10 लाख की धनराशि सरकार को नहीं देनी होगी।

(8) यदि कोई चिकित्साधिकारी स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अगले 05 वर्षों के लिए किसी पी0जी0 (डिग्री व अन्य पाठ्यक्रम) कोर्स में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेकर पुन: परीक्षा में बैठ सकेंगे। तीन से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को पुन: परीक्षा में बैठने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सक जिनके द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री) में प्रवेश हेतु स्नात्कोत्तर डिग्री हेतु नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0) में प्राप्त अंकों के साथ सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की सेवा के सापेक्ष अतिरिक्त भारांक का दावा किया जायेगा, के संबंध में निम्नवत् अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

(1) अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में जैसा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 द्वारा परिभाषित हो, किया जाना आवश्यक होगा। जिसकी गणना कट ऑफ तिथि आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष 31 दिसम्बर से की जायेगी।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में चयनित चिकित्साधिकारियों को अध्ययन की अवधि में असाधारण अवकाश पर माना जायेगा। इसलिये इन चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे, तथापि यदि इस अवधि में वे रेजीडेन्ट का कार्य करते हैं, तो जो धनराशि रेजीडेन्ट को अनुमन्य होती है उतनी धनराशि उन्हें मानदेय के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य स्रोतों से किसी प्रकार का अन्य भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

3. पी0एम0एच0एस संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारी जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री व अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सेवा के सापेक्ष अतिरिक्त भारांक का दावा किये बिना ही नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0)/अन्य समकक्ष परीक्षा में प्रवेश हेतु निम्नवत अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पांच वर्ष से कम सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 में की गयी है, उनका 03 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पांच वर्ष की सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 में पूर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री) में प्रवेश लिया जायेगा. उनका वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के अध्ययन अवकाश के अनुसार 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं 01 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। अध्ययन अवकाश की अवधि में चिकित्साधिकारी को उपनियम-146क के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन देय होगा।

(3) अध्ययन अवधि में असाधारण अवकाश के समय चयनित चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे, तथापि यदि इस अवधि में वे रेजीडेन्ट का कार्य करते हैं, तो जो धनराशि रेजीडेन्ट को अनुमन्य होती है उतनी धनराशि उन्हें मानदेय के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य स्रोतों से किसी प्रकार का अन्य भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। अध्ययन अवकाश की अवधि में रेजीडेण्ट को अनुमन्य धनराशि, यदि कोई हो तो उन्हें मानदेय के रूप में प्राप्त करायी जाएगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नात्कोत्तर (डिग्री व अन्य पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5. यह शासनादेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक, तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मन्नान अख्तर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ई–मेल / महत्वपूर्ण / आज ही

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3 / पी0जी0–2023 / 2315 लखनऊः दिनांक 21/9/ 2022

विषयः नीट पी0जी0 2023 के संबंध में जारी संशोधित कट–ऑफ के क्रम में एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को वेटेज प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेडिकल काउन्सिल कमेटी, भारत सरकार, के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, नई दिल्ली की नोटिस संख्या–U-12021/02/2023-MEC DATED 20-9-2023 के साथ संलग्न भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या– U-12021/07/2023-MEC(Pt.I) (FTS:8238881) DATED 20-9-2023 द्वारा नीट पी0जी0 2023 के संबंध में संशोधित कट–ऑफ जारी की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः नीट पी0जी0 2023 के माध्यम से चयनित एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित कट–ऑफ के क्रम में वेटेज प्रदान करते हुए एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / डी0एन0बी0 हेतु अर्ह चिकित्साधिकारियों की पृथक–पृथक सूची हिन्दी **(KrutiDev 10)** तथा अंग्रेजी **(Times New Roman)** पर हार्ड एवं साफ्ट पर ई–मेल **dgmesec3@gmail.com** पर **आज ही** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि नीट पी0जी0 2023 के मॉप–अप राउण्ड की प्रक्रिया दिनांक 18 सितम्बर 2023 से प्रारम्भ की जा चुकी है, अतः प्रकरण मे समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्याःएम0ई0–3 / पीजी–2023 / तद्दिनांक /

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

(14)

Office of MCC
Email: adgme@nic.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
MEDICAL COUNSELLING COMMITTEE
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-12021/02/2023-MEC **Dated: 20-09-2023**

NOTICE

Urgent Attention all Candidates participating in NEET-PG Counselling 2023:

It is for the information to candidates that vide Letter No. U-12021/07/2023-MEC (Pt-I) dated 20.09.2023 (Copy attached below), the qualifying percentile for PG Courses (Medical/ Dental) for NEET PG Counselling 2023 has been reduced to **'ZERO'** across all categories by MoHFW.

In this regard, it is mentioned that Fresh Registration & Choice Filling for Round-3 of PG Counselling will be opened again for candidates who have become eligible after reduction of percentile. Candidates who have become freshly eligible can register and participate in Round-3 of counselling. The candidates who are already registered need not register again. However, they will be allowed to edit their choices.

A fresh schedule for Round-3 onwards for PG Counselling will be put up on MCC website soon. Candidates are advised to be in touch with MCC website for further updates.

Notice posted on: 20-09-2023

File No: U-12021/07/2023-MEC(Pt.-I) (FTS:- 8238881)
भारत सरकार / Government of India
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग / Department of Health & Family Welfare
चिकित्सा शिक्षा नीति / Medical Education Policy

Room No. 514A, A Wing,
Nirman Bhawan New Delhi
Dated 20-09-2023

To,

The Secretary,
National Medical Commission,
Pocket-14, Sector-8, Dwarka,
New Delhi – 110 077.

Sub:- Reduction of qualifying percentile for NEET-PG, 2023.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above mentioned subject and to say that the recommendation for reduction in qualifying percentile for Post Graduate Courses for 2023 (NEET-PG 2023) has been considered in the Ministry. Approval of competent authority is hereby conveyed for reduction of qualifying percentile for NEET-PG 2023 to 'Zero' across all categories

2. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Sunil Kumar Gupta
Date: 20.09.2023
(Sunil Kumar Gupta)
Under Secretary to Government of India
Tele : 23061986
E-mail Id:-sunilk.gupta35@nic.in

Copy to:-

1. The Executive Director, National Board of Examination, Ansari Nagar, Mahatma Gandhi Marg, New Delhi- 110029 for necessary action to report the revised results/list to MCC, DGHS.
2. Chairman, MCC for further necessary action in Counselling.
3. DDG (ME)

Copy for information to:

1. Principal Secy/Secretary ME of all states/UTs
2. Director(ME), All States/UTs.